

Court F.R. 50/2026

न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी
एफ आई आर संख्या 28/2026
भैरूलाल बनाम विरेन्द्र नागर
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

07.03.2026

अभियोजन अधिकारी ने थाना सदर बून्दी की एफआईआर सं. 28/2026, धारा 281,324(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं 184 एम0वी0 एक्ट में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वक्तु गलत फहमी में पेश किया है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ. आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी भैरूलाल आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसने प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा होने से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही है।

इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी की तहरीर पर थाना सदर बून्दी में एफ.आई.आर. सं. 28/2026, धारा 281,324(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं 184 एम0वी0 एक्ट में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिम में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अन्तिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण अनुसंधान किया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। केस डायरी सम्बन्धित थाने को लौटावे।

पत्रावली फैसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (सदर)

14/03/26 यह पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसल आदेश हेतु स्वी गई। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर धार वाद तफ्तील दायरेल अभिलेखागार हो।

राजीनामा
होने से कोई
कार्यवाही नहीं
चाही है

भैरूलाल
परिवारी
HC82

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच नं०.....

सदस्य